मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3595/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/4/2010

(1)

आदेश क्रमांक 01

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यपदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – मार्गदर्शी सिद्धांत।

i. प्रस्तावना :

उपरोक्त विषय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में यह प्रथम आदेश है। इस आदेश में ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के मार्गदर्शी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। अनुरोध है कि इस आदेश को गाईड नस्ती में रखा जावे एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के उद्देश्यो को प्राप्त किया जा सकें। मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :–

1.1 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा –

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के समन्वय द्वारा खेती को लाभप्रद एवं ग्रामीण एवं ग्रामीणों की आजीविका के लिए स्थायी अवसरों का सृजन किया जा सकता है।

1.4 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान का सिद्धांत –

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा की फिलॉसफी का आधार जलग्रहण क्षेत्र विकास का सिद्धांत होगा।

1.5 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा का लक्ष्य –

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा का लक्ष्य निम्नानुसार है –

(1)

- **गांव के सकल रकबे (निजी तथा शासकीय भूमि) की उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि करना एवं गांव में पानी की इष्टतम टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित कर खेती को लाभप्रद बनाना।**
- **सामुदायिक/शासकीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास कर खेतिहर मजदूरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए गांव में ही आजीविका के टिकाऊ/स्थायी अवसर उपलब्ध कराना।**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानानुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली एवं शासकीय विभागों तथा गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से खेती को लाभप्रद बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विभाग से आवश्यक तकनीकी सहयोग लिया जावेगा और उनकी योजनाओं, प्रयोगों, अनुभवों तथा अभिनव उदाहरणों से सीखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर संभव समन्वय/प्रयास किया जावेगा। परिषद् इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि सभी स्टेक होल्डर के कौशल विकास के लिए अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इस संबंध में परिषद् उचित कार्यवाही करेगी।

2. **जिला स्तरीय व्यवस्था –**

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की सुचारू रूप से संचालन के लिए सिद्धांततः उपयुक्त जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इस अनुक्रम में योजना के सुचारू रूप से संचालन, मार्गदर्शन तथा नेतृत्व के लिए जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 3696 /योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/04/2010

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग